भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

27.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3954 का उत्तर

रेलगाड़ियों में विज्ञापन से अर्जित राजस्व

3954. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

श्री नीरज डांगी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2022 से अब तक रेलगाड़ियों के अंदर, रेलगाड़ियों के बाहरी हिस्सों और रेलवे स्टेशनों पर किए गए विज्ञापनों से ज़ोन-वार और वर्ष-वार अर्जित राजस्व कितना है;

(ख) इस अवधि के दौरान ऐसे विज्ञापनों के लिए पैनल में शामिल या अनुबंध दिए गए विज्ञापन अभिकरणों या विक्रेताओं की ज़ोन-वार सूची क्या है;

(ग) वर्ष 2022 से अब तक किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा और ऐसे विज्ञापनों की ब्रांड-वार अवधि कितनी है;

(घ) क्या रेलगाड़ियों में किए गए विज्ञापनों के लिए विषय-वस्तु मानकों और अनुमोदन तंत्रों के संबंध में कोई दिशानिर्देश मौजूद हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2022 से अब तक आपत्तिजनक विज्ञापनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल ने विज्ञापन और ब्रांडिंग पहलों के माध्यम से गैर-किराया राजस्व अर्जित करने के लिए व्यापक गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) नीतियाँ तैयार की हैं। स्टेशन से बाहर विज्ञापन (ओओएचए) नीति के तहत, स्टेशनों के परिचलन क्षेत्रों में विज्ञापन के अवसर हैं। विज्ञापन रेल प्रदर्शन नेटवर्क (आरडीएन) नीति स्टेशनों और परिचलन क्षेत्रों में स्क्रीन और डिस्प्ले सिस्टम के माध्यम से डिजिटल विज्ञापन को सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत रेलगाड़ियों और सवारीडिब्बों (भीतर और बाहर दोनों) जैसी चल संपत्तियों का ब्रांडिंग और विज्ञापन के लिए उपयोग किया गया है।

विज्ञापनों से अर्जित राजस्व विविध आय का भाग है। श्रेणी-वार राजस्व विवरण भारतीय रेल के वार्षिक सांख्यिकीय विवरण में उपलब्ध है।

सभी विज्ञापन संविदा भारतीय रेल ई-प्रापण प्रणाली (आईआरईपीएस) के ऑनलाइन पोर्टल पर ई-नीलामी के जरिए प्रदान किए जाते हैं। बोलीदाता का चयन, वाणिज्यिक आय और गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) नीति और संविदा की संबंधित विशेष शर्तों के अनुसार किया जाता है जिसमें विज्ञापनदाताओं की पात्रता मानदंड दर्शाए गए हैं।

रेलगाड़ियों में प्रदर्शित विज्ञापनों के लिए प्रत्येक विज्ञापन योजना का पूर्वानुमोदन अनिवार्य है और इसे संबंधित रेल मंडल के मंडल प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। बहरहाल, विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए ब्रांड का चयन विज्ञापन एजेंसी का विशेषाधिकार है। विज्ञापन एजेंसी को विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीय/राज्य कानूनों का पालन करना आवश्यक है। कानून की दृष्टि में आपत्तिजनक विज्ञापन निषिद्ध हैं। निम्नलिखित विज्ञापनों को रेलगाड़ियों के भीतर/बाहर प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है:

i. मादक पेय पदार्थों के विज्ञापन।
ii. ऐसे विज्ञापन जिनके पृष्ठभूमि दृश्य कामुक प्रवृत्ति के हों।
iii. परिवहन के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धी विज्ञापन।
iv. रेल दुर्घटनाओं पर बीमा देने वाली निजी बीमा कंपनियों के विज्ञापन।
v. सिगरेट, बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन।

हालांकि, उल्लंघन के किसी भी मामले में तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

******